भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षितः
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/93/2016/एफ.सी./543 दिनॉक: 9/3/17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/7444/2014)

विषयः अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 194 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2728 वृक्षों के पातन, संभल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 446 वृक्षें के पातन तथा मुरादाबाद में किमी 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 52वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3420 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–140/14–2–2016–800(136)/2016, दिनांक–22.12.16

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–140/14–2–2016–800(136)/2016, दिनांक–28.09.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 03.11.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विषयांकित प्रकरण को दिनांक– 05.01.2016 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः केन्द्र सरकार अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच0–93) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 194 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2728 वृक्षों के पातन, संभल में किमी0 142.220 से 205.00 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 446 वृक्षें के पातन तथा मुरादाबाद में किमी 205.00 से 232.00 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 52वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3420 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (58.2630x2= 116.526 ha.) अर्थात् 117.004 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6. राज्य सरकार प्रकरण में किसी भी प्रकार का शासनादेश जारी करने से पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

9/3/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर,उ0 प्र0।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सम्भल,उ0 प्र0।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
8. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0, मुरादाबाद, उ0 प्र0।
9. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
10. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}